Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 125 /2020

Chandra Mohan Thakur .....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0-47/2018-19 में दिनांक-19.10.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षो को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-मोगलिया पुरनदाहा, थाना नं0-95, खाता नं0-630, 634 एवं 1660 खेसरा सं0-4314, 4318, 4319 एवं 4313 कुल रकवा-1.40 डी0 पैतृक भूमि है जो विवादित है। उक्त भूमि की जमाबंदी इनके नाम दर्ज है। इस पर भू लगान भुगतान किया जाता रहा है तथा शांतिपूर्ण दखलकार है। उत्तरवादीगण द्वारा वर्ष 2018 में अवैध तरीके एवं बलपूर्वक प्रश्नगत भूमि पर फूस की झोपड़ी निर्मित कर दी है एवं पंचायत की बात भी उनके द्वारा नहीं मानी गई। अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया एवं दिनांक-19.10.2019 को आदेश पारित किया गया, जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। इनके तथ्यों की अनदेखी की गई है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये एवं बिना न्यायिक दृष्टिकोण के एवं रैयती भूमि बताते हुए अवैध आदेश पारित किया गया जो सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक-4.09.2022 को दैनिक समाचार पत्र, प्रभात खबर में प्रकाशित किया गया। इसके	

Web Copy. Not Official.

		बावजूद भी उत्तरवादीगण उपस्थित नहीं हुए। क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 20.03.2023	अपीलार्थी को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद रैयती भूमि पर अवैध संरचना को हटाकर दखल कब्जा दिलाने से संबंधित है। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के स्तर से रैयती भूमि के तत्संबंधी पारित आदेश के कार्यान्वयन पर स्थगन कर मामले का निष्पादन का अधिकार व्यवहार न्यायालय को निहित कर दिया गया था। जिस कारणवश निम्न न्यायालय द्वारा वाद को क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर समाप्त कर दिया गया। पुनः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 (सिविल) वाद सं0–24289/2019 में दिनांक–30.09.2019 द्वारा पारित आदेश के माध्यम से तत्संबंधित वादों की सुनवाई प्रारंभ करने का निदेश प्राप्त है। उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को निम्न न्यायालय में इस आदेश के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि उभय पक्षो की उपस्थिति में विधिवत सुनवाई करते हुए युक्ति–युक्त आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.